10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE INDIA भारत

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES COURT FEE INDIA भारत

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी

R-1071 III/14

B.K.mahour
(B.K. mahour)
Ad.

श्री बी. के. माहौर, अभि0 द्वारा आज दि. 2-4-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-4-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
11-30 A.M.

ओमप्रकाश नायक तनय श्री नाथूराम नायक निवासी– लुहरगुँवा तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ, म0प्र ....आवेदक

बनाम

1– मातादीन तनय श्री नाथूराम नायक
2– महेश प्रसाद तनय श्री नाथूराम नायक
3– श्रीमती मलीदा बेवा श्री नाथूराम नायक
4– धर्मदास तनय श्री राजाराम नायक
5– जानकीप्रसाद तनय श्री राजाराम नायक
6– स्वामीप्रसाद तनय श्री गोकुलप्रसाद नायक
7– गिलौंजी तनय श्री गोकुलप्रसाद नायक
8– श्रीमती चिरौंजी, राजाबेटी पुत्री श्री शिवदयाल
9– विघाधर, प्रमोद तनय श्री बैजनाथ लुहार
निवासीगण– लुहरगुँवा तहसील पृथ्वीपुर जिला– टीकमगढ, म0प्र0 ......अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 24/03/2014 पारित द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाडी जिला – टीकमगढ म0प्र0 जो प्रकरण कमांक 85/अपील/2011 –12 में पारित कर अपीलार्थी की अपील अवधि वाह्रय मानकर निरस्त की है। (एनेक्जर पी/1)

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, श्रीमान् तहसीलदार महोदय पृथ्वीपुर द्वारा धारा 178 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत् बॅटवारे की कार्यवाही की गयी जिसमें आवेदक द्वारा दिनांक 27/05/2012 को आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी और निवेदन किया गया कि आवेदक की सहमति के बिना बॅटवारा ना किया जावे । उक्त आपत्ति की प्रति ग्राम पटवारी को भी प्रदाय की गयी आपत्ति का निराकरण किये बिना श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना सभी खातेदारों एवं आवेदक की सहमति के बिना अनावेदक कमांक 1 व 2 के प्रभाव में बॅटवारा तस्तीक किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा दिनांक 07/09/2011 को माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाडी के समक्ष अपील प्रस्तुत की ।

2– यह कि, आवेदक द्वारा अपील में स्पष्ट रुप से तथ्य उल्लेख किया कि श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा कुँआ का बॅटवारा नही किया जा सकता एवं कुँआ शामिल रखा जाना चाहिये जबकि श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा नम्बर 499, रक्वा 0.036 आरे का बॅटवारा किया गया और जिसमें आवेदक को कोई हिस्सा प्रदान नही किया गया । इस प्रकार श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा किया गया बॅटवारा दूषित है और विधि अनुसार नही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1071/III/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25.4.2014	अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 85/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.3.2014 के विरूद्व यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 24.3.2014 का अवलोकन किया गया, जिसके व्दारा उन्होंने अपील कमांक 85/11–12 को इस आधार पर अस्वीकार किया है, कि बटवारा आदेश दिनांक 7–6–11 के विरूद्व अपील 5–9–11 के वाद प्रस्तुत की गई है जो समयवाह्य है। 3/ विचार योग्य बिन्दु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी व्दारा पारित आदेश दिनांक 24–3–14 (जिसके व्दारा अपील अस्वीकार की गई है) के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य है ? म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में दी गई व्यवस्था अनुसार अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रथम अपील में दिये गये अंतिम आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील का प्रावधान है और आवेदक के पास सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का एंव सुनवाई कराने का उपचार प्राप्त होने से सीधे राजस्व मण्डल में	

प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है। आवेदक चाहे, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और अपील प्रस्तुत होने पर आयुक्त सुनवाई कर अपील का निराकरण करेंगे।

4/ तद्नुसार निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य